

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरविविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 2193/2019

- गुलाब बाई साहू, पिता श्री धरमलाल साहू, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी- ग्राम तुरमा पुलिस चौकी लवन, थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी/दावाकर्ता

विरुद्ध

1. फैयाज अहमद, पिता श्री इकबाल हसन, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी- ग्राम करमुरिदन, थाना सैनी, तहसील सिराधू, जिला कौशांबी, उत्तर प्रदेश (ट्रक क्रमांक GJ-19-T-3662 का चालक)
2. संदीप कुमार विश्वकर्मा पिता श्री रमेश कुमार विश्वकर्मा, निवासी-बडोदरा भगवती कॉम्प्लेक्स, तहसील पलसाना, जिला सूरत, गुजरात पिन- 394327 (ट्रक क्रमांक GJ-19-T-3662 का स्वामी)
3. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एम.एम. सिल्वर प्लाजा, पाँचवीं मंजिल, खनिज भवन के पास, रिंग रोड, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
(ट्रक क्रमांक GJ-19-T-3662 का बीमाकर्ता)
4. धरमलाल, पिता श्री रामप्यारा साहू, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी- ग्राम तुरमा, पुलिस चौकी लवन, थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़

... प्रत्यर्थीगण

(वाद- शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री सुनील साहू, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से	:	श्री वैभव शुक्ला अधिवक्ता की ओर से उपस्थित सुश्री श्रीजल गुप्ता, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहूबोर्ड पर आदेश23/07/2025

1. अपीलार्थी/दावाकर्ता ने विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 43/2019 में दिनांक 15.11.2019 को पारित आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान दावा अधिकरण ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम, 1988") की धारा 166 के अधीन क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए



प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 50,000/- रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अधिनिर्णीत किए थे।

2. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि दिनांक 05.12.2018 को दोपहर लगभग 12:00 बजे, मृतका लक्ष्मी साहू अपने पति प्रमोद कुमार साहू (अपीलार्थी/दावाकर्ता के पुत्र) के साथ पंजीयन क्रमांक CG- 04-KY-3423 मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रही थीं। रास्ते में, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तेज गति और उपेक्षपूर्वक चलाए जा रहे पंजीयन क्रमांक GJ- 19-T-3662 वाले एक ट्रक ने प्रमोद कुमार साहू द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और दुर्घटना का कारण बना। उक्त दुर्घटना में, प्रमोद कुमार साहू और उनकी पत्नी लक्ष्मी साहू गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मी साहू की मृत्यु के विरुद्ध अपीलार्थी/दावाकर्ता, जो मृतका की सास हैं, द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वह मृतका की आय पर निर्भर थीं। उन्होंने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1988') की धारा 166 के अधीन एक आवेदन भी प्रस्तुत किया जिसमें उसके पुत्र प्रमोद कुमार साहू की मृत्यु के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी, जिसे विद्वान दावा अधिकरण ने स्वीकार कर लिया और 8,36,400/- रुपये का क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत किया। यद्यपि, लक्ष्मी साहू की मृत्यु के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सास को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधीन विधिक प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी नहीं दिखाया गया है।

3. अपीलार्थी/दावाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान दावा अधिकरण ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि मृतका अपीलार्थी/दावाकर्ता की पुत्रवधू थी, वह मृतका और उसके पति (दावाकर्ता के पुत्र) के साथ रह रही थी क्योंकि वह एक वृद्ध महिला थी और समस्त प्रयोजनार्थ मृतका दोनों की आय पर निर्भर थी, और इसलिए, अधिनियम, 1988 के अधीन क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत करने हेतु, यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या दावाकर्ता मृतका की आय पर निर्भर थे या नहीं, न कि यह कि दावाकर्ता उत्तराधिकारी है या नहीं। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने एन. जयश्री व अन्य विरुद्ध चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2022) 14 एससीसी 712 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया।

4. प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह तर्क किया है कि दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और दावा प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया है।



6. निर्विवादित रूप से, दावाकर्ता ने एक ही दुर्घटना में अपने पुत्र और पुत्रवधु को खो दिया है। दावा आवेदन में, उसने दोनों व्यक्तियों की मृत्यु के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा किया है, अर्थात्, एक उसका पुत्र है और दूसरी उसकी पुत्रवधु है। यह भी साक्ष्य है कि वह लगभग 60 वर्ष की वृद्ध महिला है और उसका पति लंबे समय से उसके साथ नहीं रह रहा है। दावाकर्ता द्वारा किए गए अभिवचन और बताए गए उक्त तथ्य से, यह स्पष्ट है कि वह अपने बुढ़ापे में समस्त प्रयोजनार्थ अपने पुत्र और पुत्रवधु की आय पर निर्भर थी।

7. अधिनियम, 1988 की धारा 166 के प्रावधान के अनुसार, दुर्घटना से उद्भूत क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन मृतक के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है, जहाँ मृत्यु हुई हो। निर्विवादित रूप से, मृतका की सास होने के नाते दावाकर्ता मृतका की विधिक प्रतिनिधि है। अधिनियम, 1988 के अधीन क्षतिपूर्ति मृत्यु के मामलों में यह देखते हुए अधिनिर्णीत किया जाना है कि दावेदारों ने कमाने वाले की मृत्यु के बाद आश्रितता खो दी है, और इसलिए, क्षतिपूर्ति के अधिकार पर विचार किया जाना है। अधिनियम, 1988 के अधीन एक अवधारणीय तथ्य यह है कि क्या दावाकर्ता मृतक की आय पर निर्भर था या नहीं और उसके बाद क्या दावाकर्ता मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

8. निर्विवादित रूप से, दावाकर्ता और मृतक के मध्य संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि मृतका दावाकर्ता की पुत्रवधू थी और यह तथ्य सामने नहीं आया है कि मृतका अपने पति के साथ दावाकर्ता से अलग रह रही थी। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दावाकर्ता अलग रह रही थी और अपनी आय पर जीवनयापन कर रही थी। प्रकरण के तथ्यों और दुर्घटना के समय मृतका की आयु लगभग 60 वर्ष और उसकी पुत्रवधू की मृत्यु को विचार में रखते हुए, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि दावाकर्ता मृतका और उसके पुत्र पर आश्रित थी।

9. विधिक उत्तराधिकारी और विधिक प्रतिनिधि में अंतर है। विधिक उत्तराधिकारी वह व्यक्ति होता है जो कानून के अनुसार मृत व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है और विधिक प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जो मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। विधिक प्रतिनिधि का अर्थ व्यापक है और इसमें मृतक के मामलों के सभी विधिक पहलू शामिल हैं। अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अधीन, विधि निर्माताओं ने जानबूझकर विधिक प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग मृत्यु के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की मांग करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए किया है। दावाकर्ता, सास होने के नाते, मृतका की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करेगी, और इसलिए, वह अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अधीन क्षतिपूर्ति की मांग करने वाले व्यक्ति के रूप में शामिल है।



10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने एन. जयश्री (पूर्वोक्त) के मामले में इस विवादक पर विचार करते हुए कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा मृतका की सास को उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में शामिल न करने का औचित्य सिद्ध किया गया है और पैरा 10, 14, 15, 16 व 21 में निम्नानुसार अवधारित किया है:-

“10. मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, “एमवी अधिनियम”) के प्रावधान ‘उचित और निष्पक्ष’ क्षतिपूर्ति की अवधारणा को सर्वोपरि महत्व देते हैं। यह एक लाभकारी कानून है जिसे पीड़ितों या उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। एमवी अधिनियम की धारा 168 ‘उचित क्षतिपूर्ति’ की अवधारणा से संबंधित है जिसका निर्धारण निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समता के आधार पर किया जाना चाहिए। यद्यपि ऐसा निर्धारण अंकगणितीय रूप से सटीक या पूर्ण नहीं हो सकता, फिर भी न्यायालय द्वारा आवेदक/आवेदकों द्वारा दावा की गई राशि की परवाह किए बिना उचित और निष्पक्ष क्षतिपूर्ति देने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरला वर्मा 1 मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित किया है:

“16. ...“उचित क्षतिपूर्ति” पर्याप्त क्षतिपूर्ति है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, उचित और न्यायसंगत हो, ताकि गलती के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई की जा सके, जहाँ तक पैसा कर सकता है, क्षतिपूर्ति देने से संबंधित सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करके। इसका उद्देश्य कोई उपहार, दान या लाभ का स्रोत बनना नहीं है।”

14. मोटर यान अधिनियम 'विधिक प्रतिनिधि' शब्द को परिभाषित नहीं करता है। सामान्यतः, 'विधिक प्रतिनिधि' का अर्थ है वह व्यक्ति जो विधिक रूप से मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति शामिल हैं जिनके पास प्रतिपूरक लाभ प्राप्त करने का विधिक अधिकार निहित है। एक 'विधिक प्रतिनिधि' में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है। ऐसा व्यक्ति जरूरी नहीं कि वह विधिक उत्तराधिकारी हो। विधिक उत्तराधिकारी वे व्यक्ति होते हैं जो मृतक की जीवित संपत्ति के





उत्तराधिकारी होते हैं। एक विधिक उत्तराधिकारी एक विधिक प्रतिनिधि भी हो सकता है।

15. वर्तमान जाँच के लिए, केरल मोटर यान अधिनियम, 1989, 'विधिक प्रतिनिधि' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करता है:—

"विधिक प्रतिनिधि" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो विधिक तौर पर मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हकदार है, यदि उसने अपनी मृत्यु के समय कोई संपत्ति छोड़ी हो और इसमें मृतक का कोई भी विधिक उत्तराधिकारी और मृतक की संपत्ति का निष्पादक या प्रशासक भी शामिल है।"

16. हमारे विचार में, मोटर यान अधिनियम के अध्याय XII के प्रयोजनार्थ 'विधिक प्रतिनिधि' शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए और इसे केवल मृतक के पति/पत्नी, माता-पिता और संतानों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। जैसा कि उपरोक्त उल्लेख किया गया है, मोटर यान अधिनियम पीड़ितों या उनके परिवारों को आर्थिक अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बनाया गया एक उदार विधि है। इसलिए, मोटर यान अधिनियम की एक उदार और व्यापक व्याख्या की आवश्यकता है ताकि अधिनियम के वास्तविक प्रयोजन को पूर्ण किया जा सके और इसके विधायी आशय को पूरा किया जा सके। हमारा यह भी मानना है कि दावा याचिका को बनाए रखने के लिए, दावाकर्ता के लिए अपनी आश्रितता की हानि को स्थापित करना पर्याप्त है।

मोटर यान अधिनियम की धारा 166 यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि, जो मोटर यान दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित होता है, के पास क्षतिपूर्ति की प्राप्ति का उपाय होना चाहिए।

21. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विचार करें तो, चौथी अपीलार्थी मृतक की सास थी। अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित



करती है कि वह मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी। वह अपने आश्रय और भरण-पोषण के लिए मृतक पर निर्भर थी। भारतीय समाज में यह असामान्य नहीं है कि सास अपनी वृद्धावस्था में अपनी पुत्री और दामाद के साथ रहे और अपने भरण-पोषण के लिए अपने दामाद पर निर्भर हो। यहाँ अपीलार्थी क्रमांक 4 मृतक की विधिक उत्तराधिकारी नहीं हो सकती है, किंतु उसकी मृत्यु के कारण उसे निश्चित रूप से कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि वह मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन एक "विधिक प्रतिनिधि" है और दावा याचिका प्रस्तुत करने की हकदार है।

(II) क्या उच्च न्यायालय द्वारा विभाजन गुणक लागू करना उचित था?

11. उपरोक्त प्रकरण में, मृतक दावाकर्ता का दामाद था। यह तर्क दिया गया कि दावाकर्ता अपनी पुत्री और दामाद के घर में रह रही थी। प्रकरण के उक्त तथ्यों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार, अपने भरण-पोषण के लिए दामाद पर निर्भर सास, मृतक की विधिक उत्तराधिकारी नहीं हो सकती है, किंतु अधिनियम 1988 की धारा 166 के अधीन क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ, वह विधिक प्रतिनिधि है।

12. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को विचार में रखते हुए, इस न्यायालय की राय में, विद्वान दावा अधिकरण ने अपीलार्थी/दावाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज करने में त्रुटि की है कि वह मृतक की विधिक उत्तराधिकारी नहीं है, और अधिनियम, 1988 की धारा 166 के प्रावधान की अनदेखी की है, जो मृतक के विधिक प्रतिनिधि की बात करता है।

13. पूर्वोक्त विश्लेषण हेतु, आक्षेपित निर्णय, जहाँ तक वह लक्ष्मी साहू की मृत्यु के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के दावे को अस्वीकार करने से संबंधित है, संधारणीय नहीं है और इसे एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

14. इस स्तर पर, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि चूँकि विद्वान दावा अधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि की गणना नहीं की गई है, इसलिए प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, दावाकर्ता की आयु लगभग 66 वर्ष है। प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के बजाय, क्षतिपूर्ति की गणना मृतक की आय को काल्पनिक आधार पर और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सरला वर्मा (श्रीमती) व अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम व एक अन्य, (2009) 6 एससीसी 121 में प्रकाशित और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी



लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी, (2017) 16 एससीसी 680 में प्रकाशित तथा मैम्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध नानू राम उर्फ चुहुरु राम व अन्य, (2018) 18 एससीसी 130 में प्रकाशित प्रकरणों में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए।

15. प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विवाद नहीं करते हैं।

16. प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, जहाँ दावा अधिकरण ने दावाकर्ता को अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति की राशि की गणना नहीं की है, इस न्यायालय को नए सिरे से निर्णय पारित करने के लिए प्रकरण को दावा अधिकरण को प्रतिप्रेषित कर देना चाहिए था। यद्यपि, यह देखते हुए कि दावाकर्ता ने अपने पुत्र और पुत्रवधु को खो दिया है, दावाकर्ता की वर्तमान आयु 66 वर्ष से अधिक है और अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क पर भी विचार करते हुए कि व्यवसाय और आय के प्रमाण के अभाव में भी, न्यायालय या अधिकरण को किसी वयस्क व्यक्ति की आय का आकलन, दुर्घटना की तिथि को मृतक के निवास स्थान पर प्रचलित मजदूरी को विचार में रखते हुए या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को विचार में रखते हुए करना आवश्यक है, मेरा विचार है कि यह दावाकर्ता के व्यापक हित में होगा, यदि क्षतिपूर्ति की गणना स्थापित सिद्धांतों को विचार में रखते हुए की जाए।

17. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, मैं अपीलार्थी/दावाकर्ता को अधिनिर्णीत जाने वाले क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करना उचित समझता हूँ। यद्यपि, दावे के आवेदन में मृतका लक्ष्मी साहू का व्यवसाय सिलाई का काम और 300 रुपये प्रतिदिन की आय बताया गया था, तथापि, दावाकर्ता द्वारा अभिलेख पर कोई ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उसे अकुशल मजदूर मानते हुए और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना को विचार में रखते हुए, मैं मृतका की आय का आकलन काल्पनिक आधार पर करना उचित समझता हूँ।

18. दुर्घटना की तिथि 05.12.2018 है और अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018 तक की अवधि के लिए और सी-ज़ोन क्षेत्र के लिए निर्धारित, मैं मृतका की आय 8,100/- रुपये निर्धारित करना उचित समझता/पाता हूँ। चूँकि दुर्घटना की तिथि पर मृतका की आयु 32 वर्ष दर्शाई गई है, जैसा कि शवपरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, इसलिए भविष्य की संभावनाओं हेतु आय का 40% जोड़ा जाएगा, 1/2 की कटौती की जाएगी और गुणक का अनुप्रयोग 16 होगा और दावाकर्ता संपदा की हानि और अंतिम संस्कार व्यय के मद में 15,000/- रुपये प्रत्येक के लिए आगे हकदार होगा।



19. पूर्वोक्त विश्लेषण हेतु, मैं दावाकर्ता को अधिनिर्णीत किए जाने वाले क्षतिपूर्ति की राशि की गणना निम्नानुसार करना उचित समझता हूँ:-

मद	क्षतिपूर्ति
A) आय/आश्रितता की वार्षिक हानि = ₹97,200/- (₹8,100 x 12)	रु. 10,88,640/-
B) भविष्य की संभावनाओं की हानि के लिए 40% की दर से योग (₹97,200 x 10% = ₹1,36,080/-)	
C) व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय के लिए 1/2 की कटौती (₹1,36,080 x 1/2 = ₹68,040; ₹1,36,080 - ₹68,040 = ₹68,040)	
D) 16 का गुणक ₹68,040 x 16 = ₹10,88,640/-	
संपदा की हानि	₹15,000/-
अंतिम संस्कार व्यय	₹15,000/-
कुल	₹11,18,640/-

20. अब अपीलार्थी/दावाकर्ता कुल 11,18,640/- रुपये के क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे। क्षतिपूर्ति की बढ़ी हुई राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर उसकी वसूली तक 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा। आक्षेपित अधिनिर्णय की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

सही/-

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।